

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर

--: आदेश :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/09/2022

क्रमांक एफ 2-79/2022/20-दो :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित भृत्य (ई-संवर्ग) को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए, उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है:-

स. क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्थानांतरण का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री कृष्ण कुमार भैना, भृत्य	शा.उ.मा.वि. खोंगसरा, वि. ख. कोटा, जिला बिलासपुर	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गौ.पे.मरवाही	ऐच्छिक
2	श्री मालिक राम विश्वकर्मा, भृत्य	शा.उ.मा.वि. बिजौर, वि. ख. बिल्हा, जिला बिलासपुर	शा.उ.मा.वि. बहतराई जिला बिलासपुर	ऐच्छिक
3	श्री किरण कुमार मांडवा, भृत्य	शा.उ.मा.वि. भाड़ी जिला बिलासपुर	शा.हाई स्कूल मदनपुर वि.ख. बिल्हा जिला बिलासपुर	ऐच्छिक
4	श्री दिनेश कुमार यादव, भृत्य	शा.क.उ.मा.वि. आरंग जिला रायपुर	कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुंद जिला महासमुंद	ऐच्छिक
5	श्री प्रमोद कुमार जोशी, भृत्य	शा.उ.मा.वि. कोलिहा वि. ख. सिमगा जिला बलौदाबाजार	शा.उ.मा.वि. कुरुद कोहा वि.ख. दुर्ग जिला दुर्ग	ऐच्छिक
6	श्री रमेश कुमार राठौर, भृत्य	शा.कन्या उ.मा.वि. बेलगहना, वि.ख. कोटा, जिला बिलासपुर	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गौ.पे.मरवाही	ऐच्छिक
7	श्री रोशन लाल सेन, भृत्य	शा.उ.मा.वि. गोड़पेण्डी वि. ख. पाटन जिला दुर्ग	शा.हाई स्कूल बटंग वि. ख. पाटन जिला दुर्ग	ऐच्छिक
8	श्री शीतल प्रसाद खगार, भृत्य	शा.कन्या उ.मा.वि. बेलगहना, वि.ख. कोटा, जिला बिलासपुर	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गौ.पे.मरवाही	ऐच्छिक
9	श्री सुरेश सिंह, भृत्य	शा.पू.मा.शाला झूमरपारा वि.ख. व जिला सूरजपुर	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर जिला जशपुर	ऐच्छिक



10	श्री डूमेश कुमार कश्यप, भृत्य	शास.उ.मा.वि. बजरंगदास अभनपुर जिला रायपुर	शा.हाई स्कूल भैसमुड़ा वि.ख. नगरी जिला धमतरी	ऐच्छिक
11	श्रीमती भुनेश्वरी साहू, भृत्य	शा.पू.मा.शा. बोड़रा वि.ख. गुरुर जि. बालोद	शा.पू.मा.शाला धनोरा वि. ख. दुर्ग जिला दुर्ग	ऐच्छिक
12	श्री सुरेश कुमार ढीढी, भृत्य	शा.क.उ.मा.वि. मंदिर हसौद वि.ख. आरंग जिला रायपुर	लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर	ऐच्छिक
13	श्रीमती गौरी यदु, भृत्य	शास.उ.मा.वि. पोंड वि. खं. अभनपुर जिला रायपुर	शास.उ.मा.वि. बोरिद वि. खं. फिंगेश्वर जिला गरियाबंद	ऐच्छिक

2/ उपरोक्त स्थानांतरित भृत्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त समयावधि के भीतर भारमुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित भृत्य स्वमेव भारमुक्त माने जायेंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित भृत्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3/ उपरोक्त स्थानांतरित भृत्यों में से यदि कोई वर्तमान पदस्थापना स्थल-जिला में पदस्थ न हों/सेवानिवृत्त/मृत्यु/निलंबित हों, तो यह स्थानांतरण आदेश शून्य माना जावेगा।

4/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर उसके स्थान पर एवजीदार के आने के उपरांत ही उसे कार्यमुक्त किया जाए।

5/ ई-संवर्ग से टी-संवर्ग एवं टी-संवर्ग से ई-संवर्ग में किये गए स्थानांतरण शून्य माना जावेगा अर्थात् उक्त स्थानांतरण प्रभावशील नहीं होंगे।

6/ ऐसे स्थानांतरित भृत्य जो परिवीक्षाधीन हैं उन भृत्यों का स्थानांतरण शून्य माना जावेगा अर्थात् उक्त स्थानांतरण प्रभावशील नहीं होंगे।

7/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 में निहित प्रावधानों के विपरीत यदि कोई स्थानांतरण किया गया हो तो उक्त स्थानांतरण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

8/ उक्त स्थानांतरण आदेश जारी किये जाने तक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में प्रतिनियुक्ति में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का यदि स्थानांतरण हुआ हो तो उक्त स्थानांतरण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।


9/ जारी उक्त स्थानांतरण सूची में यदि किसी कर्मचारी का नाम स्थानांतरण हेतु पुनरावृत्ति हुई हो तो जारी सूची के प्रथम स्थान को ही मान्य किया जावेगा।



10/ संबंधित भृत्य उक्त स्थानांतरण आदेश से व्यथित हो, तो जारी आदेश तिथि से 15 दिवस के भीतर, शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिव समिति के संयोजक एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

11/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी. वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0क्र.एफ 2-79/2022/20-दो,


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/09/2022

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
3. प्रबंध संचालक, राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय, रायपुर।
4. संयुक्त संचालक, संभागीय लोक शिक्षण कार्यालय,(छ.ग.)।
5. संबंधित कलेक्टर, जिला..... (छ.ग.)।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला.....(छ.ग.)।
7. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला (छ.ग.)।
8. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी.....(छ.ग.)।
9. संबंधित प्राचार्य/प्रधान पाठक(छ.ग.)।
10. संबंधित श्री

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग